[2020] 2 एस. सी. आर 944

केनरा बैंक

वी.

पी. सेलथल और ओआरएस। ETC.ETC।

(सिविल अपील सं। 1863-1864 2020 का)

28 फरवरी, 2020

जुडाय उमेश ललित, इंदिरा बनर्जी और

एम. आर. शाह, जे. जे.]

उक्त फर्म की अचल संपत्ति और गारंटर की भूमि-गारंटर की भूमि विवाद का विषय है। - एक गारंटर ने गारंटी विलेख पर हस्ताक्षर किए थे और स्वामित्व विलेख जमा करके एक न्यायसंगत बंधक बनाया था-मूल उधारकर्ता ऋण राशि का भुगतान करने में विफल रहा-डी. आर. टी. ने गारंटर के खिलाफ एकतरफा कार्रवाई की और प्रमुख उधारकर्ता, उसके भागीदारों और अन्य को निर्देश दिया।

गारंटर ब्याज के साथ सावधि ऋण की राशि का भुगतान करता है गारंटर ने 2008 में डी. आर. टी. के आदेश के खिलाफ एक आई. ए. दायर किया, जिसमें डी. आर. टी. द्वारा पारित एकपक्षीय डिक्री को दरकिनार करने के लिए कहा गया था, हालांकि, इसे खारिज कर दिया गया था-डी. आर. टी. द्वारा पारित एकमुश्त डिक्री की तारीख से सात साल बाद, उत्तरदाताओं-वादियों ने दो मुकदमे दायर करके डी. आर. टी. द्वारा पारित आदेश को गैर-स्थायी, अति-अधिकार, अमान्य और वाद संपत्ति पर बाध्यकारी नहीं घोषित किया।

मुकदमा, बैंक ने यू/या आवेदन दायर किया। 7 , आर. 11 संबंधित पट्टों को अस्वीकार करने के लिए बैंक ने तर्क दिया कि एस के अनुसार। 20 (1) पुनर्प्राप्ति का

बैंक और वित्तीय संस्थान अधिनियम, 1993 के कारण ऋण अपील

डी. आर. टी. के आदेश के खिलाफ डी. आर. ए. टी. को प्रदान किया जाता है और इसलिए, दीवानी न्यायालय के पास मुकदमों पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था -

प्रत्यर्थियों-वादियों ने आवेदनों का विरोध करते हुए कहा कि उन्होंने मूल मालिक से वाद संपत्ति खरीदी है और वे वाद संपत्ति के कब्जे और आनंद में हैं-आवेदन यू/या 7, आर. 11 (डी) को निचली अदालत ने खारिज कर दिया था -

उच्च न्यायालय ने निचली अदालत द्वारा पारित आदेशों की पुष्टि की-अपील पर, अभिनिर्धारित कियाः डी. आर. टी. द्वारा पारित डिक्री और यहां तक कि वसूली अधिकारी द्वारा पारित आदेश भी अपील योग्य हैं। 20 आर. डी. डी. बी. एफ. आई. अधिनियम-मुकदमों में भागीदारी विलेख के संबंध में धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है और इस संबंध में कोई आरोप नहीं हैं।

गारंटर द्वारा बनाए गए गिरवी रखने के लिए-मुकदमे परेशान करने वाले होते हैं और डी. आर. टी. द्वारा पारित निर्णय और डिक्री से बाहर निकलने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से दायर किए जाते हैं-वादी गारंटर द्वारा शक्ति के रूप में निष्पादित बिक्री विलेखों के आधार पर अधिकार, स्वामित्व का दावा कर रहे हैं।

मूल विक्रेता/मूल मालिक के वकील धारक का अभिकथन-प्लेट्स में दिए गए इस दावे के अनुसार कि उन्होंने अपने विक्रेता/मूल मालिक से सूट संपत्ति खरीदी है, तथ्यात्मक रूप से गलत है-बिक्री विलेखों के निष्पादन से पहले, भूमि को पहले से ही बंधक के रूप में प्रतिभूति के रूप में रखा गया था-इसके अलावा, गारंटर ने डी. आर. टी. के फैसले और डिक्री के खिलाफ 2008 में आई. ए. दायर किया था, उसने यह खुलासा नहीं किया कि उसने पहले ही वादी के पक्ष में संपत्ति बेच दी थी।

इस प्रकार, मामले के समग्र तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए वादी द्वारा दायर किए गए मुकदमे परेशान करने वाले, तुच्छ और कानून और अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग हैं-इसलिए, निर्धारित कानून पर विचार करते हुए। उच्चतम न्यायालय द्वारा वाद खारिज कर दिए जाते हैं। 7 , आर. 11 नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों ने यू/या की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दलीलों को अस्वीकार नहीं करने में भौतिक रूप से गलती की। 7 , आर. 11 ((घ) सी. पी. सी.

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने पकड़नाः 1 . संक्षिप्त प्रश्न जिसके लिए प्रस्तुत किया जाता है

इस न्यायालय का विचार यह है कि क्या वादी द्वारा दायर किए गए मुकदमे सी. पी. सी. के आदेश 7 नियम 11 (डी) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खारिज किए जाने के लिए उत्तरदायी थे या नहीं? [पैरा 7.1] [957 डी-ई]

2. सी. पी. सी. के आदेश 7 नियम 11 के तहत शक्तियों के प्रयोग पर इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को मामले के तथ्यों पर लागू करना। दूसरी ओर, इस न्यायालय की राय है कि नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों ने सी. पी. सी. के आदेश 7 नियम 11 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए दलीलों को अस्वीकार नहीं करने में भौतिक रूप से गलती की है। जैसा कि देखा गया है, मुकदमों में मुख्य प्रार्थना डी. आर. टी. द्वारा पारित आदेश को चुनौती देना है। डी. आर. टी. द्वारा पारित डिक्री और यहां तक कि वसूली अधिकारी द्वारा पारित आदेश भी बैंक और वित्तीय संस्थान अधिनियम, 1993 के कारण ऋणों की वसूली की धारा 20 के तहत अपील योग्य हैं। ओ. सी. कृष्णन और अन्य के मामले में, इस न्यायालय ने कहा है कि डी. आर. ए. टी. के समक्ष अपील को प्राथमिकता देने के वैकल्पिक उपाय को देखते हुए, डी. आर. टी. द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाली अनुच्छेद 227 के तहत याचिका इस तरह के उपाय के समाप्त होने के बिना बनाए रखने योग्य नहीं होगी। ओ. सी. कृष्णन और अन्य के मामले में, डिक्री पारित [2020] 2 एस. सी. आर.

डी. आर. टी. द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत एक याचिका में चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय ने याचिका को स्वीकार कर लिया। बैंक-पंजाब नेशनल बैंक की अपील को स्वीकार करते हुए, इस न्यायालय ने कहा है कि आर. डी. डी. बी. एफ. आई. अधिनियम के तहत उपचारों को समाप्त किए बिना, उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 227 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। [पैरा 8] [960 डी-जी]

3. मुकदमों में दलीलों और कथनों पर विचार करने के बाद, विशेष रूप से धोखाधड़ी के आरोपों पर, यह न्यायालय

अपील लंबित है। चाहे जो भी हो, मुकदमों में दलीलों/कथनों और धोखाधड़ी के आरोपों पर विचार करते हुए, इस न्यायालय की राय है कि धोखाधड़ी के आरोप भ्रामक हैं और केवल डी. आर. टी. द्वारा पारित निर्णय और डिक्री से बाहर निकलने की दृष्टि से हैं। इस न्यायालय की राय है कि इसलिए मुकदमे परेशान करने वाले हैं और डी. आर. टी. द्वारा पारित निर्णय और डिक्री से बाहर निकलने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से दायर किए गए हैं। जैसा कि देखा गया है। इसके अलावा, वादी क्रमशः 30.01.1996 और 10.03.1997 दिनांकित बिक्री विलेखों के आधार पर अधिकार का दावा कर रहे हैं।

इसके ऊपर, वर्ष 2008 में भी, जब गारंटर ने डी. आर. टी. के समक्ष रद्द करने और अलग रखने के लिए अंतर्वर्ती आवेदन दायर किया था। डी. आर. टी. द्वारा पारित एकतरफा निर्णय और डिक्री में, उन्होंने यह खुलासा नहीं किया कि उन्होंने पहले ही कैनरा बैंक बनाम के पक्ष में संपत्ति बेच दी है।

पी. सेलथल और ओआरएस। ETC.ETC।

मूल वादी। जैसा कि देखा गया है, बिक्री पर भी नकद भुगतान किए जाने का आरोप है। निष्पादन से पहले

30.01.1996 और 10.03.1997 दिनांकित बिक्री विलेख, भूमि को पहले से ही गारंटर द्वारा अपीलार्थी बैंक के साथ बंधक के माध्यम से प्रतिभूति के रूप में रखा गया था। इस प्रकार, मामले के समग्र तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, मूल वादी द्वारा दायर किए गए मुकदमे परेशान करने वाले, तुच्छ हैं और कानून और अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग के अलावा और कुछ नहीं हैं। इसलिए, उपरोक्त निर्णयों में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून पर विचार करते हुए, विशेष रूप से टी. अरिवंदम के मामले में, मुकदमे परेशान करने वाले और तुच्छ होने के कारण, सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए वाद खारिज किए जाने की आवश्यकता है। जैसा कि टी. अरिवंडम में न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने बताया है, आदेश 7 नियम 11 (ए) के तहत एक आवेदन पर विचार करते समय अदालत द्वारा निश्चित रूप से एक शब्द को दोहराने या वाद में भ्रम पैदा करने की रस्म को उजागर किया जा सकता है। जैसा कि इस न्यायालय ने कहा है, ऐसी कार्यवाहियों को शुरुआत में ही समाप्त करने की आवश्यकता है। अन्यथा भी, जैसा कि यहाँ ऊपर देखा गया है, के तहत प्रदान की गई अपील के उपचार को समाप्त किए बिना

ओ. सी. कृष्णन और अन्य लोगों के मामले में इस न्यायालय द्वारा अवलोकन और अभिनिर्धारित किया गया। [पैरा 10] [961 एफ-एच; 962 ए-जी] 4. इस स्तर पर, यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि मुकदमे बंधक की तारीख से 15 साल की अवधि के बाद दायर किए गए हैं।

और डी. आर. टी. द्वारा डिक्री पारित होने की तारीख से 7 साल की अवधि के बाद। दलीलों में, यह कहा गया है कि वादी को बंधक और डी. आर. टी. द्वारा पारित निर्णय और डिक्री के बारे में केवल छह महीने पहले ही पता चला था। हालाँकि, उक्त कथनों को बहुत अस्पष्ट कहा जा सकता है। डी. आर. टी. द्वारा पारित निर्णय और डिक्री और संपत्ति के बंधक के बारे में वादी को कब और कैसे पता चला, इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। केवल सीमा के कानून से बाहर निकलने की दृष्टि से और केवल सीमा की अवधि के भीतर मुकदमों को लाने की दृष्टि से, ऐसी अस्पष्टता अनुमान लगाए जाते हैं। इस तरह के अस्पष्ट कथनों पर, वादी सीमा कानून से बाहर नहीं निकल सकते हैं। मैदानों में सीमा के आधार पर विशिष्ट अभिवचन और कथन होने चाहिए। इस प्रकार, इस आधार पर भी, मैदान अस्वीकार किए जाने योग्य थे। जैसा कि देखा गया है।

इसके अलावा, आरोप-पत्र परेशान करने वाले, तुच्छ, गुणहीन हैं और कानून और अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग के अलावा कुछ भी नहीं हैं। इसलिए यह [2020] 2 एस. सी.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आदेश 7 नियम 11 (डी सी. पी. सी.) के तहत शक्तियों का प्रयोग करने के लिए एक उपयुक्त मामला है। नीचे दोनों अदालतों ने भौतिक रूप से गलती की है सी. पी. सी. के आदेश 7 आर 11 (डी) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए पक्षकारों को अस्वीकार करना। नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों ने भौतिक रूप से गलती की है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। [पैरा 11] [962 एच; 963 ए-डी]

सोपान सुखदेव साबले बनाम। सहायक चैरिटी आयुक्त

(2004) 3 एससीसी 137 [2004] 1 एससीआर 1004; टी।

अरिवंदम बनाम। टी. वी. सत्यपाल (1977) 4 एससीसी 467:

[1978] 1 एससीआर 742; चर्च ऑफ क्राइस्ट चैरिटेबल ट्रस्ट

एजुकेशनल ट्रस्ट (2012) 8 एससीसी 706: [2012] 6 एससीआर 404 ; पंजाब नेशनल बैंक बनाम ओ. सी. कृष्णन और अन्य।

(2001) 6 एससीसी 569: [2001] 1 पूरक। एससीआर 466-निर्भर

पर।

लैमिनार्ट प्रा. लिमिटेड वी. ए. पी. एजेंसियां (1989) 2 एस. सी. सी. 163; मदनुरी श्री राम चंद्र मूर्ति बनाम। सैयद जलाल

(2017) 13 एससीसी 174: [2017] 5 एस. सी. आर. 294; राम सिंह बनाम।

ग्राम पंचायत महल कलां (1986) 4 एस. सी. सी. 364

संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

[2001] 1 पूरक। एससीआर 466

उस पर भरोसा करें

पै

रा 4.1

(1989) 2 एससीसी 163

संदर्भित किया गया है

पै

रा 4.3

[2017] 5 एससीआर-294

संदर्भित किया गया है

पै

रा 4.3

[1978] 1 एससीआर 742

उस पर भरोसा करें

पै

रा 7.3

[2012] 6 एससीआर 404

उस पर भरोसा करें

पै

रा 7.4

[2004] 1 एससीआर 1004

उस पर भरोसा करें

पै

रा 7.6

(1986) 4 एस. सी. सी. 364

पै

रा 7.8

संदर्भित किया गया है

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं। 18

1864 2020 से।

उच्च न्यायालय के 09.11.2017 दिनांकित निर्णय और आदेश से

सी. आर. पी. (पी. डी.) सं. में मद्रास से। 2586 और 2013 का 2587।

केनरा बैंक बनाम पी. सेलथल और ओआरएस। ETC.ETC।

अपीलार्थी। रॉबिन आर. डेविड, फेबिन वी. मैथ्यू, धीरज ए. फिलिप, सैमुअल डेविड, मेसर्स। दुआ एसोसिएट्स, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. आर. शाह, जे.

1. छुट्टी दे दी गई।

2. उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित सामान्य निर्णय और दिनांक 09.11.2017 आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करना।

सी. आर. पी. में मद्रास में न्यायिक कार्य। (पीडी) संख्या 2586/2013 और सी. आर. पी. (पी. डी.) सं. 2587/2013, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा यहां दिए गए उक्त पुनरीक्षण आवेदनों को खारिज कर दिया है-केनरा बैंक और सी. पी. सी. के आदेश 7 नियम 11 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए संबंधित वाद को अस्वीकार करने के लिए अपीलार्थी द्वारा यहां दिए गए आवेदनों को खारिज करते हुए विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की पुष्टि की, मूल प्रतिवादी सं. 5 - ओ. एस. नं. 1269/2010 में केनरा बैंक, जो मूल प्रतिवादी नं. है। 6 O. S. No.233/2011 में, वर्तमान अपीलों को प्राथमिकता दी गई है।

3. संक्षेप में वर्तमान अपीलों की ओर ले जाने वाले तथ्य इस प्रकार हैं:

कि अपीलार्थी-बैंक ने मैसर्स कोयंबटूर हैचरीज, एक साझेदारी फर्म जिसमें एक श्री रविचंद्रन और जी. सुरेश बाबू भागीदार थे, को <आईडी1,50,000/- का सावधि ऋण स्वीकृत और स्वीकृत किया।

वर्ष 1995। कि उक्त ऋण उक्त फर्म की अचल संपत्ति और सर्वेक्षण संख्या में स्थित भूमि को गिरवी रखकर सुरक्षित किया गया था।

'गारंटर' के रूप में संदर्भित) ने दिनांकित गारंटी विलेख पर हस्ताक्षर किए और विवादित भूमि के स्वामित्व विलेखों को जमा करके न्यायसंगत बंधक बनाया। 3.1 चूंकि मूल उधारकर्ता अपीलार्थी-बैंक को देय ऋण राशि का भुगतान करने में विफल रहा, इसलिए अपीलार्थी-बैंक ने अक्टूबर के महीने में ऋण वसूली न्यायाधिकरण, चेन्नई के समक्ष 2001 की ओ. ए. संख्या 489 दायर की।

1997 प्रमुख उधारकर्ता, उसके भागीदारों के साथ-साथ [2020] 2 एस. सी. आर. के विरुद्ध।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

गारंटर। कि 31.10.2001, डी. आर. टी., चेन्नई ने ओ. ए. सं. 489/2001 में गारंटर के खिलाफ एकतरफा कार्रवाई करने का आदेश पारित किया। उस ओ. ए. नंबर 489/2001 को डी. आर. टी., कोयम्बटूर में स्थानांतरित कर दिया गया था और टी. ए. नंबर 822/2002 के रूप में पुनः क्रमांकित किया गया था। अपीलार्थी-बैंक द्वारा दायर उस टी. ए. सं. 822/2002 (पूर्व में ओ. ए. सं. 489/2001) को डी. आर. टी. द्वारा अपीलार्थी बैंक के पक्ष में और प्रमुख उधारकर्ता के साथ-साथ गारंटर के खिलाफ प्रति वर्ष 18 प्रतिशत ब्याज के साथ Rs.57,35,770/- के लिए घोषित किया गया। कि अपीलार्थी-बैंक के पक्ष में प्रति वर्ष 18 प्रतिशत ब्याज के साथ 35,770/- की राशि के लिए एक वसूली प्रमाण पत्र जारी किया गया था। 3.2 उस वसूली अधिकारी, डी. आर. टी., कोयम्बटूर ने प्रमुख उधारकर्ता को आर. पी. संख्या 141/2003 में दिनांकित 11.11.2003 पर एक मांग सूचना जारी की।

इसके भागीदारों और गारंटर ने उन्हें टी. ए. सं. 443/- रुपये की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जैसा कि टी. ए. सं. कि गारंटर ने मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी गारंटी और ई. एम. टी. के निर्माण से इनकार करते हुए एक रिट याचिका दायर की और अपराध शाखा-सी. आई. डी. को एक एफ. आई. आर. दर्ज करने और मामले की जांच करने का निर्देश देने की मांग की। कि मद्रास उच्च न्यायालय के निर्देश पर, एफ़. आई. आर. सं. 152/2010 पर दर्ज किया गया।

2.11.2005 . सी. बी.-सी. आई. डी., कोयंबटूर ने आई. पी. सी. की धारा 120 बी के साथ 465,466,467,468,471,420 और 419 के तहत अपराधों के लिए मुख्य उधारकर्ता के भागीदारों के खिलाफ और अपीलकर्ता-बैंक के कृषि विस्तार अधिकारी के. वी. रोशन बाबू के खिलाफ भी अंतिम रिपोर्ट दायर की। ऐसा प्रतीत होता है कि इसके बाद बैंक के अधिकारी-रोशन बाबू के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही की गई।

उच्च न्यायालय द्वारा 28.06.2011 दिनांकित निर्णय और आदेश के माध्यम से रद्द कर दिया गया।

3.3 कि वर्ष 2007 में और पुनर्प्राप्ति के अनुसरण में

अपीलार्थी-बैंक के पक्ष में प्रमाण पत्र, बैंक ने साझेदारी फर्म की संपत्तियों की नीलामी की और उन्हें बेच दिया और Rs.38 लाख बरामद किए। कि इसके बाद डी. आर. टी. द्वारा दिनांक 27.08.2003 द्वारा पारित आदेश की तारीख से पांच साल की अवधि के बाद, गारंटर ने डी. आर. टी., कोयंबटूर के समक्ष दिनांकित 27.08.2003 के एकतरफा डिक्री को दरकिनार करने के लिए वर्ष 2008 में आई. ए. सं. 1821 दायर किया। डी. आर. टी., कोयंबटूर के उस दिनांकित आदेश के माध्यम से गारंटर द्वारा दायर उक्त आई. ए. को खारिज कर दिया गया और दिनांकित आई. डी. 2 के एकतरफा आदेश को चुनौती देने में 1337 दिनों की देरी और दिनांकित आई. डी. 3 के एकतरफा आदेश को दरकिनार करने के लिए याचिका दायर करने में 2392 दिनों की देरी को माफ करने से इनकार कर दिया।

3.4 कि उसके बाद बंधक की तारीख से 15 साल की अवधि के बाद और कैनरा बैंक v की डिक्री की तारीख से सात साल के बाद।

पी. सेलथल और ओआरएस। ETC.ETC। [एम. आर. शाह, जे.]

27.08.2003 डी. आर. टी. द्वारा पारित, यहाँ उत्तरदाताओं ने ओ. एस. सं. 1269/2010 और ओ. एस. सं. 233/2011 क्रमशः द्वितीय अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय, कोयम्बटूर के न्यायालय में गारंटर, प्रमुख उधारकर्ता और उसके भागीदारों और अपीलकर्ता-बैंक के खिलाफ टी. ए. सं. में डी. आर. टी. द्वारा पारित दिनांकित 27.08.2003 आदेश घोषित करने की घोषणा के लिए दायर किया।

822/2002 गैर-स्थायी, अधिकार से परे, शून्य और वाद संपत्ति पर बाध्यकारी नहीं और परिणामी स्थायी निषेधाज्ञा प्रतिबंध के लिए भी वसूली अधिकारी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करके उनके शांतिपूर्ण कब्जे और सूट संपत्ति के आनंद में हस्तक्षेप करने से

कुर्की, बिक्री या अन्यथा के माध्यम से सूट संपत्ति। कि उपरोक्त में

दो मुकदमे, अपीलार्थी-बैंक को प्रतिवादी नं. 5 ओ. एस. सं. 1269/2010 और प्रतिवादी सं. 6 ओ. एस. सं. 233/2011 में और मुकदमों के समन/नोटिस के साथ दिया गया था। अपीलकर्ता-बैंक ने सी. पी. सी. के आदेश 7 नियम 11 (डी) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए संबंधित दलीलों को अस्वीकार करने के लिए ओ. एस. संख्या 1269/2010 और ओ. एस. संख्या 233/2011 में आई. ए. No.431/2011 दायर किया। अपीलकर्ता बैंक की ओर से यह मामला था कि बैंक और वित्तीय संस्थान अधिनियम, 1993 (संक्षेप में 'आर. डी. डी. बी. एफ. आई. अधिनियम') के कारण ऋणों की वसूली की धारा 18 और 20 (1) के तहत अधिकार क्षेत्र के विशिष्ट प्रतिबंध को देखते हुए, मुकदमे बनाए रखने योग्य नहीं हैं और दीवानी अदालत का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। यह मामले की ओर से था

डी. आर. टी. और इसलिए दीवानी अदालत के पास डी. आर. टी. द्वारा पारित डिक्री को चुनौती देने वाले मुकदमों पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। 3.5 कि उक्त आवेदनों का मूल वादियों द्वारा विरोध किया गया था कि उन्होंने अन्य बातों के साथ-साथ मुकदमा संपत्ति खरीदी है

मूल मालिक और यह कि वे सूट संपत्ति के कब्जे और आनंद में हैं। यह मूल वादी की ओर से मामला था कि

विक्रेता ने प्रमुख उधारकर्ता के प्रवर्तकों के साथ मिलीभगत से बैंक और बैंक के अधिकारियों के पक्ष में कोई न्यायसंगत बंधक नहीं बनाया और न्यायसंगत बंधक बनाया, जैसे कि मूल

मालिक, उनके विक्रेता ने एक बंधक बनाया। यह प्रस्तुत किया गया था कि गारंटीकर्ता-श्री एम. सी. कालीकुट्टी, सूट संपत्ति के मूल मालिक द्वारा दी गई शिकायत पर, 02.11.2005 पर एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी और

दिनांकित आरोप पत्र 18.08। , 2007 दाखिल किया गया है जो लंबित है। यह आरोप लगाया गया था कि बैंक और प्रमुख उधारकर्ता के प्रवर्तकों ने धोखाधड़ी की और डी. आर. टी. में आदेश प्राप्त किया। यह प्रस्तुत किया गया था कि बैंक और अन्य द्वारा की गई धोखाधड़ी को केवल नागरिक मंच द्वारा साबित किया जा सकता है और इसका निर्णय डी. आर. टी. द्वारा नहीं किया जा सकता है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि [2020] 2 एस. सी. आर.

वादी तीसरे पक्ष हैं और इसलिए वे डी. आर. टी. और डी. आर. ए. टी. से संपर्क नहीं कर सकते हैं। इसलिए, उक्त आवेदनों को खारिज करने का अनुरोध किया गया।

3.6 कि विद्वत विचारण न्यायालय ने उक्त आवेदनों को खारिज कर दिया और सी. पी. सी. के आदेश 7 नियम 11 (डी) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए संबंधित दलीलों को अस्वीकार करने से इनकार कर दिया।

3.7 विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा उपरोक्त आवेदनों को खारिज करने और अस्वीकार करने के आदेशों से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करना।

सी. पी. सी. के आदेश 7 नियम 11 (डी) के तहत संबंधित दलीलों को अस्वीकार करने के लिए, अपीलकर्ता-बैंक ने उच्च न्यायालय के समक्ष दो अलग-अलग संशोधन आवेदनों को प्राथमिकता दी। विवादित सामान्य निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने उक्त पुनरीक्षण आवेदनों को खारिज कर दिया है और विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की पुष्टि की है, जिसमें आदेश 7 नियम 11 सी. पी. सी. के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए संबंधित दलीलों को अस्वीकार करने के आवेदनों को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया है कि या तो धोखाधड़ी या प्रतिरूपण का मुद्दा या क्या मूल वादी के विक्रेता, गारंटर द्वारा बैंक के पक्ष में बनाया गया बंधक कानूनी है या नहीं, यह दीवानी मुकदमों और आपराधिक मामले में निर्णय लेने का मामला है।

3.8 अस्वीकार करने से इनकार करने में उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित सामान्य निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करना

आदेश 7 नियम 11 सी. पी. सी. के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए संबंधित पक्षकार, अपीलार्थी-बैंक-मूल प्रतिवादी नं. 5 ओ. एस. सं. 1269/2010 और

मूल प्रतिवादी सं। 6 ओ. एस. सं. 233/2011 में वर्तमान अपीलों को प्राथमिकता दी गई है।

4. अपीलार्थी-बैंक की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश कुमार ने दृढ़ता से प्रस्तुत किया है कि तथ्यों में और

विद्वत विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा पसंद किए गए आवेदनों को खारिज कर दिया बैंक और शक्तियों के प्रयोग में संबंधित पट्टों को अस्वीकार करने से इनकार करना

सी. पी. सी. के आदेश 7 नियम 11 (डी) के तहत। विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय के साथ-साथ विद्वान विचारण न्यायालय दोनों ने आर. डी. डी. बी. एफ. आई. अधिनियम, विशेष रूप से उक्त अधिनियम की धारा 18,19 और 20 के प्रासंगिक प्रावधानों की उचित रूप से सराहना और/या विचार नहीं किया है। 4.1 अपीलार्थी-बैंक की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि मूल वादी डी. आर. टी., कोयंबटूर दिनांक 27.08.2003 केनरा बैंक बनाम द्वारा पारित डिक्री को चुनौती दे रहे हैं।

पी. सेलथल और ओआरएस। ETC.ETC। [एम. आर. शाह, जे.]

टी. ए. सं. 822/2002 में उत्तीर्ण। यह प्रस्तुत किया जाता है कि डी. आर. टी. द्वारा पारित डिक्री के खिलाफ आर. डी. डी. बी. एफ. आई. अधिनियम के तहत, डी. आर. ए. टी. के समक्ष उक्त अधिनियम की धारा 20 के तहत अपील का उपाय उपलब्ध है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए आर. डी. डी. बी. एफ. आई. अधिनियम एक विशेष अधिनियम होने के कारण, प्रक्रिया प्रदान की गई है।

और इसलिए मामला पूरी तरह से सी. पी. सी. के आदेश 7 नियम 11 (डी) के भीतर आता है और इसलिए विद्वत विचारण न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय को सी. पी. सी. के आदेश 7 नियम 11 (डी) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए संबंधित दलीलों को खारिज कर देना चाहिए था। उपरोक्त प्रस्तुतिकरण के समर्थन में, अपीलार्थी-बैंक की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने पंजाब नेशनल बैंक बनाम के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर बहुत अधिक भरोसा किया है। ओ. सी. कृष्णन और अन्य, (2001) 6 एस. सी. सी. 569। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त निर्णय में भी, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत याचिकाओं को भी विचारणीय नहीं माना जाता है। 4.2 अपीलार्थी-बैंक की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने भी बैंक की खंड पीठ के निर्णय पर बहुत अधिक भरोसा किया है।

मैसर्स कैम्ब्रिज सॉल्यूशंस लिमिटेड, बैंगलोर बनाम के मामले में मद्रास उच्च न्यायालय। ग्लोबल सॉफ्टवेयर लिमिटेड, चेन्नई, 2016-5-L. W. 45. यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त मामले में भी वादी ने वसूली अधिकारी द्वारा पारित आदेश को चुनौती देते हुए धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए मुकदमा दायर किया और धोखाधड़ी के आरोप के बावजूद वसूली अधिकारी द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाले मुकदमे को बनाए रखने योग्य नहीं माना जाता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपरोक्त निर्णय में, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने धोखाधड़ी के आरोप को भ्रामक पाया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त निर्णय के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका को इस न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है।

4.3 यह आगे उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाता है

अपीलार्थी-बैंक की ओर से कि वर्तमान मामले में भी धोखाधड़ी का आरोप गारंटर-श्री एम. सी. कालीकुट्टी द्वारा निष्पादित गारंटी विलेख के संबंध में नहीं है, बल्कि साझेदारी विलेख के संबंध में है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए मूल वादी द्वारा दायर किए गए मुकदमे हैं

कानून की एक प्रक्रिया का तुच्छ और दुरुपयोग और इसलिए आधार हैं

उस आधार पर भी और सी. पी. सी. के आदेश 7 नियम 11 (डी) के तहत शक्तियों के प्रयोग में अस्वीकार किया जा सकता है। अपने उपरोक्त निवेदन के समर्थन में, अपीलार्थी-बैंक की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने टी. अरिवंडम बनाम के मामलों में इस न्यायालय के निर्णयों पर बहुत अधिक भरोसा किया है। टी. वी. सत्यपाल (1977) 4 एससीसी 467; ए. बी. सी. लैमिनार्ट प्रा. लिमिटेड वी. एपी.

एजेंसियां (1989) 2 एस. सी. सी. 163; सोपान सुखदेव साबले बनाम। सहायक चैरिटी आयुक्त (2004) 3 एस. सी. सी. 137 और मदनुरी श्री राम चंद्र मूर्ति बनाम। सैयद जलाल (2017) 13 एससीसी 174।

4.4 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए और उपरोक्त निर्णयों पर भरोसा करते हुए, वर्तमान अपीलों को अनुमति देने का अनुरोध किया जाता है।

5. मूल वादियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री रॉबिन आर. डेविड ने वर्तमान अपीलों का जोरदार विरोध किया है। यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया जाता है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, विशेष रूप से जब धोखाधड़ी के विशिष्ट आरोप हैं

संबंधित वाद जिनका निर्णय केवल दीवानी न्यायालय द्वारा किया जा सकता है, दोनों, विद्वत विचारण न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने सी. पी. सी. के आदेश 7 नियम 11 (डी) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए दलीलों को अस्वीकार करने से इनकार कर दिया है।

5.1 मूल वादियों की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि वे प्रामाणिक हैं।

सूट संपत्तियों के खरीदार जिन्हें कथित तौर पर उनके विक्रेता-श्री एम. सी. कल्लिकुट्टी द्वारा गिरवी रखा गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त श्री कालीकुट्टी द्वारा शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही में धोखाधड़ी के विशिष्ट आरोप हैं और वास्तव में उक्त श्री एम. सी. कालीकुट्टी द्वारा शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही में आरोप पत्र दायर किए गए हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वास्तव में इसके बाद आपराधिक कार्यवाही में निचली अदालत ने साझेदारी फर्म के भागीदारों-जी सुरेश बाबू और रवि चंद्रन को आईपीसी की धारा 120 बी के साथ 465,466,468,471,419 और 420 के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि विद्वान मजिस्ट्रेट ने विशेष रूप से अवलोकन किया है और अभिनिर्धारित किया है कि अभियुक्त

एक आपराधिक साजिश में प्रवेश किया और गवाहों के जाली हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान बनाकर श्री एम. सी. कालीकुट्टी का जाली विभाजन विलेख बनाया और बैंक से ऋण प्राप्त किया। यह प्रस्तुत किया जाता है कि विद्वत विचारण न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने उचित रूप से इनकार कर दिया है

5.2 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए, वर्तमान अपीलों को खारिज करने का अनुरोध किया जाता है। 6. जवाब में, अपीलकर्ता बैंक की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि जहां तक आपराधिक कार्यवाही का संबंध है, बैंक उक्त आपराधिक कार्यवाही में पक्षकार नहीं है और इसलिए मजिस्ट्रेट की कोई भी टिप्पणियाँ/निष्कर्ष बैंक को बाध्य नहीं करेगा।

केनरा बैंक बनाम पी. सेलथल और ओआरएस। ETC.ETC। [एम. आर. शाह, जे.]

6.1 अपीलार्थी-बैंक की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि आपराधिक कार्यवाही भी साझेदारी विलेख के संबंध में न कि श्री एम. सी. कालीकुट्टी-गारंटर द्वारा निष्पादित गारंटी विलेख के संबंध में। यह प्रस्तुत किया जाता है कि श्री एम. सी. कल्लिकुट्टी द्वारा निष्पादित गारंटी विलेख भी-गारंटर

विद्वान मजिस्ट्रेट के सामने भी नहीं था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए वादी उक्त आपराधिक कार्यवाही पर भरोसा नहीं कर सकते हैं और/या वादपत्रों में उपयोग किए गए "धोखाधड़ी" शब्द के तहत शरण नहीं ले सकते हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए मैदानों में धोखाधड़ी के आरोप भ्रामक हैं और मुकदमे परेशान करने वाले हैं और दुर्भावनापूर्ण इरादे से दायर किए गए हैं और इसलिए यह सी. पी. सी. के आदेश 7 नियम 11 (डी) के तहत शक्तियों का प्रयोग करने के लिए एक उपयुक्त मामला है।

7. हमने संबंधित पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना है।

7.1 शुरुआत में, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि डी. आर. टी. द्वारा प्रमुख उधारकर्ता और गारंटर के खिलाफ पहले से ही एक आदेश पारित किया जा चुका है।

और वसूली अधिकारी द्वारा जारी वसूली प्रमाण पत्र। कि अपीलार्थी-बैंक ने प्रमुख उधारकर्ता-साझेदारी फर्म और उसके भागीदारों के पक्ष में सावधि ऋण को मंजूरी दी। साझेदारी फर्म के भागीदार-प्रमुख उधारकर्ता ने एक ज्ञापन निष्पादित किया

कृषि ऋणों के लिए समझौता, जिससे उसमें दर्शाए गए नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए सहमति हो। गारंटर-श्री एम. सी. कल्लिकुट्टी, जो प्रतिवादी नं. 4 डी. आर. टी. के समक्ष आवेदन में, सह-बाध्यकारी के रूप में उक्त समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए, जिसमें उक्त सावधि ऋण के संबंध में बैंक को देय ऋण राशि का भुगतान करने के लिए खुद को संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से उत्तरदायी बनाया गया। सावधि ऋण को आगे साझेदारी फर्म के भागीदारों-प्रमुख उधारकर्ता द्वारा फर्म की भूमि को गिरवी रखकर और गारंटर-श्री एम. सी. कालीकुट्टी द्वारा उनके स्वामित्व वाली भूमि को गिरवी रखकर सुरक्षित किया गया था। कि निर्णय और फरमान डी. आर. टी. द्वारा 27.08.2003 पर पारित किया गया था और यहां तक कि वसूली प्रमाण पत्र भी 16.09.2003 पर बैंक के पक्ष में जारी किया गया था। कि 5 साल की अवधि के बाद उक्त श्री कालीकुट्टी ने डी. आर. टी. के समक्ष एक अंतर्वर्ती आवेदन दायर किया जिसमें डी. आर. टी. द्वारा डी. आर. टी. द्वारा डी. आर. टी. द्वारा

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

डी. आर. टी. द्वारा पारित, मूल वादियों ने मूल रूप से डी. आर. टी. द्वारा दिनांकित 27.08.2003 द्वारा पारित डिक्री को चुनौती देते हुए वर्तमान मुकदमे दायर किए

धोखाधड़ी। कि उक्त मुकदमों में, यह मूल वादी की ओर से मामला है कि उन्होंने मुकदमों की संपत्ति खरीदी है, जिसे सावधि ऋण लेते समय गिरवी रखा गया है, अपने विक्रेता से क्रमशः 30.01.1996 और 10.03.1997 दिनांकित बिक्री विलेखों के माध्यम से और क्योंकि उनके द्वारा खरीदी गई सूट भूमि क्रमशः 30.01.1996 और 10.03.1997 दिनांकित बिक्री विलेखों के माध्यम से साझेदारी फर्म के प्रमुख उधारकर्ता-भागीदारों द्वारा धोखाधड़ी से गिरवी रखी गई थी और इसलिए डी. आर. टी. द्वारा पारित डिक्री उन्हें बाध्य नहीं करेगी। मुकदमों में, मूल वादियों ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित राहतों के लिए प्रार्थना की हैः

" क) यह घोषणा करते हुए कि ऋण वसूली न्यायाधिकरण, कोयम्बटूर द्वारा टी. ए. सं. <आई. डी. 2 में पारित दिनांक 27.8.03 का कथित आदेश गैर-निहित, अधिकार से परे, अमान्य है, और वाद संपत्ति पर बाध्यकारी नहीं है और 6 वें को प्रतिबंधित करने वाले परिणामी स्थायी निषेधाज्ञा के लिए है।

वादी के शांतिपूर्ण कब्जे में हस्तक्षेप करने से प्रतिवादी

और कुर्की या बिक्री या अन्यथा के माध्यम से वाद संपत्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई करके वाद संपत्ति का आनंद लेना;

ख) कथित बंधक की घोषणा करते हुए कहा जाता है कि द्वारा बनाया गया था

मुक़दमे की संपत्ति के संबंध में पहला प्रतिवादी 5 वां प्रतिवादी था जो गैर-निहित, शून्य और शून्य है और उसी पर बाध्यकारी है और इसके परिणामस्वरूप 5 वें प्रतिवादी को रोकने वाले स्थायी निषेधाज्ञा के लिए

बिक्री या अन्यथा के माध्यम से वाद संपत्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई करके वादी के कब्जे और वाद संपत्ति के आनंद में हस्तक्षेप करने से।

इस प्रकार, मूल रूप से वादी डी. आर. टी. द्वारा खरीदार होने के नाते पारित डिक्री को चुनौती दे रहे हैं। इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि वास्तव में मुक़दमे की संपत्ति सितंबर, 1995 के महीने में गिरवी रखी गई थी और मूल वादी ने दावा किया है कि उन्होंने मुक़दमे की संपत्ति क्रमशः 30.01.1996 और 10.03.1997 पर खरीदी है। इस स्तर पर यह भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि किसी भी समय और यहां तक कि जब गारंटर-श्री कालीकुट्टी ने वर्ष 2008 में विद्वान डी. आर. टी. के समक्ष पूर्ववर्ती को रद्द करने और अलग करने के लिए एक अंतर्वर्ती आवेदन दायर किया था। डी. आर. टी. द्वारा पारित एक पक्षीय आदेश में, उन्होंने यह खुलासा नहीं किया कि उन्होंने पहले ही वादी को मुकदमे की संपत्तियां बेच दी थीं। इस स्तर पर यह भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि बिक्री विलेखों में किए गए अभिकथनों के अनुसार, क्रमशः 30.01.1996 और 10.03.1997 दिनांकित बिक्री विलेखों को भी श्री कालीकुट्टी द्वारा मूल मालिकों के पावर ऑफ अटॉर्नी धारक के रूप में निष्पादित किया गया था और कैनरा बैंक v.

पी. सेलथल और ओआरएस। ETC.ETC। [एम. आर. शाह, जे.]

यहाँ तक कि बिक्री का भुगतान भी नकद में किया जाता था। जैसा कि ऊपर देखा गया है और जैसा कि विद्वान डी. आर. टी. द्वारा दिनांक 27.08.2003 द्वारा पारित निर्णय और डिक्री में उल्लेख किया गया है, न केवल कालीकुट्टी-गारंटर ने दिनांकित कृषि ऋण समझौते के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसके द्वारा फर्म के भागीदार ऋण का भुगतान करने के लिए खुद को संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से उत्तरदायी बनाने के लिए सहमत हुए और सह-बाध्य हो गए, यहां तक कि उक्त कालीकुट्टी ने भी अपने स्वामित्व वाली भूमि को गिरवी रखा। प्लेन्ट्स में किए गए कथनों पर विचार करने पर साझेदारी विलेख के संबंध में धोखाधड़ी के आरोप हैं और वह भी साझेदारी फर्म के प्रमुख उधारकर्ता के भागीदारों द्वारा। हालाँकि, श्री कालीकुट्टी द्वारा बंधक की तारीख से 15 साल की अवधि के बाद भी और डी. आर. टी. द्वारा पारित डिक्री की तारीख से 7 साल बाद भी, मूल रूप से डी. आर. टी. द्वारा पारित डिक्री को चुनौती देने वाली संपत्तियों के संबंध में मैदानों में कोई संदर्भ नहीं है। चूंकि डी. आर. टी. द्वारा पारित डिक्री को चुनौती देते हुए मुकदमे दायर किए गए थे, इसलिए याचिकाकर्ता-बैंक-प्रतिवादियों में से एक ने सी. पी. सी. के आदेश 7 नियम 11 (डी) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए दलीलों को अस्वीकार करने के लिए इस आधार पर आवेदन दायर किए कि आर. डी. डी. बी. एफ. आई. अधिनियम, विशेष रूप से अधिनियम की धारा 18,19 और 20 के प्रावधानों पर विचार करते हुए, मुकदमे बनाए रखने योग्य नहीं हैं। दोनों आवेदनों को विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया जाता है और जिनकी आगे उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की जाती है। इसलिए, इस न्यायालय के विचार के लिए जो छोटा सवाल उठाया गया है, वह यह है कि क्या वादी द्वारा दायर किए गए मुकदमे सी. पी. सी. के आदेश 7 नियम 11 (डी) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खारिज किए जाने के लिए उत्तरदायी थे या नहीं?

7.2 उपरोक्त मुद्दे/प्रश्न पर विचार करते समय, आदेश 7 नियम 11 (डी) के तहत शक्तियों के प्रयोग पर इस न्यायालय के कुछ निर्णय सी. पी. सी. को संदर्भित करने और विचार करने की आवश्यकता है।

7.3 T.Arivandandam (उपर्युक्त) के मामले में, उसी प्रावधान पर विचार करते हुए, अर्थात सी. पी. सी. के आदेश 7 नियम 11 और डिक्री विचारण न्यायालय के ऐसे आवेदन पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने पैरा 5 में निम्नलिखित रूप में अवलोकन और अभिनिर्धारित किया हैः

" 5. याचिकाकर्ता की निंदा करने में हमें जरा भी संकोच नहीं है

न्यायालय की प्रक्रिया के घोर दुरुपयोग के लिए बार-बार और बिना पश्चाताप के सहारा लिया गया। उच्च न्यायालय के फैसले में पाए गए तथ्यों के बयान से, यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि प्रथम मुन्सिफ न्यायालय, बैंगलोर के समक्ष अब लंबित मुकदमा एक

प्लेन्ट प्राप्त करने में कानून की दया का घोर दुरुपयोग। विद्वान मुन्सिफ को याद रखना चाहिए कि अगर एक सार्थक पर-नहीं

औपचारिक रूप से-शिकायत को पढ़ना स्पष्ट रूप से परेशान करने वाला है, और [2020] 2 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

गैर-जिम्मेदार कानूनी मुकदमे। 7.4 चर्च ऑफ क्राइस्ट चैरिटेबल ट्रस्ट के मामले में और

ए. टी. एन. एल. चैरिटेबल सोसाइटी बनाम पोन्नियम्मन एजुकेशनल ट्रस्ट

2) 8 एस. सी. सी. 706, इस न्यायालय ने पैरा 13 में कहा और अभिनिर्धारित किया है कि:

" 13. वाद अभिकथनों की जांच करते समय, कार्रवाई के कारण के लिए सामग्री का पता लगाना विचारण न्यायालय का बाध्य कर्तव्य है। कार्रवाई का कारण तथ्यों का एक समूह है जो उन पर लागू कानून के साथ लिया जाता है जो वादी को प्रतिवादी के खिलाफ राहत का अधिकार देता है। प्रत्येक तथ्य जो वादी को साबित करने के लिए आवश्यक है

ताकि वह एक डिक्री प्राप्त कर सके, उसे स्पष्ट शब्दों में निर्धारित किया जाना चाहिए। "कार्रवाई का कारण" शब्दों का अर्थ पता लगाना सार्थक है। कार्रवाई के कारण में प्रतिवादी द्वारा किया गया कुछ कार्य शामिल होना चाहिए क्योंकि इस तरह के कार्य के अभाव में कार्रवाई का कोई कारण संभव नहीं हो सकता है।

जमा करें "। 7.5 ए. बी. सी. लैमिनार्ट प्रा. लि. लिमिटेड वी. ए. पी. एजेंसियां, सलेम

क), इस न्यायालय ने "कार्रवाई के कारण" का अर्थ इस प्रकार समझाया

वीएसः

" 12.कार्रवाई के कारण का अर्थ है प्रत्येक तथ्य, जिसे यदि पार किया जाता है, तो वादी के लिए समर्थन करने के लिए इसे साबित करना आवश्यक होगा।

न्यायालय के निर्णय का उसका अधिकार। दूसरे शब्दों में, यह तथ्यों का एक समूह है जो उन पर लागू कानून के साथ लिया जाता है जो वादी को प्रतिवादी के खिलाफ राहत का अधिकार देता है। इसमें प्रतिवादी द्वारा किया गया कुछ कार्य शामिल होना चाहिए क्योंकि इस तरह के कार्य के अभाव में कार्रवाई का कोई कारण संभवतः नहीं हो सकता है। यह मुकदमा दायर किए गए अधिकार के वास्तविक उल्लंघन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें वे सभी भौतिक तथ्य शामिल हैं जिन पर यह स्थापित किया गया है। इसमें कोई सबूत नहीं है।

इस तरह के तथ्यों को साबित करने के लिए आवश्यक है, लेकिन वादी को डिक्री प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए साबित करने के लिए आवश्यक हर तथ्य। जो कुछ भी साबित नहीं होता है वह प्रतिवादी को तत्काल निर्णय का अधिकार देगा जो कार्रवाई के कारण का हिस्सा होना चाहिए। लेकिन इसका कोई संबंध नहीं है।

बचाव पक्ष के लिए जो कुछ भी प्रतिवादी केनरा बैंक बनाम द्वारा स्थापित किया जा सकता है।

पी. सेलथल और ओआरएस। ETC.ETC। [एम. आर. शाह, जे.]

न ही यह उस राहत के चरित्र पर निर्भर करता है जिसके लिए प्रार्थना की गई थी

वादी "।

7.6 सोपान सुखदेव साबले (ऊपर) के मामले में पैरा 11

2 , इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की हैः

संहिता यह है कि क्या शिकायत में कार्रवाई का वास्तविक कारण निर्धारित किया गया है या संहिता के आदेश 7 नियम 11 से बाहर निकलने की दृष्टि से कुछ विशुद्ध रूप से भ्रामक कहा गया है। 12. विचारण न्यायालय को यह याद रखना चाहिए कि यदि वाद को सार्थक और औपचारिक रूप से नहीं पढ़ने पर यह मुकदमा करने के स्पष्ट अधिकार का खुलासा नहीं करने के अर्थ में स्पष्ट रूप से परेशान करने वाला और निरर्थक है, तो उसे संहिता के आदेश 7 नियम 11 के तहत शक्ति का प्रयोग करना चाहिए ताकि यह ध्यान रखा जा सके कि उसमें उल्लिखित आधार पूरा हो गया है। यदि चतुराई से मसौदा तैयार करने से कार्रवाई के कारण का भ्रम पैदा हो गया है, तो संहिता के आदेश 10 के तहत पक्ष की खोजबीन करके पहली सुनवाई में ही इसे समाप्त कर देना चाहिए। (टी. अरिवंडम (ऊपर) देखें।

7.7 मदनुरी श्री राम चंद्र मूर्ति (ऊपर) के मामले में, न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में अवलोकन और अभिनिर्धारित किया हैः

" 7. यदि उक्त प्रावधान में उल्लिखित शर्तों को पूरा किया जाता है तो आदेश 7 नियम 11 के तहत शिकायत को खारिज किया जा सकता है। यह अनावश्यक है कि यह देखते हुए कि आदेश 7 नियम 11 सी. पी. सी. के तहत शक्ति हो सकती है

वाद के किसी भी चरण में न्यायालय द्वारा प्रयोग किया गया। आवेदन पर निर्णय लेने के लिए जिन प्रासंगिक तथ्यों पर गौर करने की आवश्यकता है, वे केवल वाद के कथन हैं। यदि वादी के संपूर्ण और सार्थक अध्ययन पर, यह पाया जाता है कि मुकदमा दायर करने के किसी भी अधिकार का खुलासा नहीं करने के अर्थ में मुकदमा स्पष्ट रूप से परेशान करने वाला और निरर्थक है, तो अदालत को आदेश 7 नियम 11 सी. पी. सी. के तहत शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। चूंकि न्यायालय को सिविल कार्रवाई को समाप्त करने की शक्ति प्रदान की गई है सीमा कठोर है, वाद की अस्वीकृति की शक्ति के प्रयोग के लिए आदेश 7 नियम 11 सी. पी. सी. के तहत गणना की गई शर्तों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। यह पता लगाने के लिए कि क्या मुकदमा किसी कानून द्वारा वर्जित है, वाद के कथनों को समग्र रूप से पढ़ना होगा। यह देखने की आवश्यकता नहीं है कि यह सवाल कि क्या मुकदमा किसी भी कानून द्वारा वर्जित है, हमेशा प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। लिखित सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट में कथन

वादी की अस्वीकृति के लिए प्रतिवादी की प्रार्थना पर विचार करते समय बयान के साथ-साथ प्रतिवादी की दलीलें पूरी तरह से महत्वहीन हैं। यहां तक कि जब वाद में लगाए गए आरोपों को उनके अंकित मूल्य पर समग्र रूप से सही माना जाता है, यदि वे दिखाते हैं कि मुकदमा किसी भी कानून द्वारा वर्जित है, या कार्रवाई के कारण का खुलासा नहीं करते हैं, तो वाद की अस्वीकृति के लिए आवेदन पर विचार किया जा सकता है और आदेश 7 नियम 11 सी. पी. सी. के तहत शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। यदि वाद का चतुराई से मसौदा तैयार करने से कार्रवाई के कारण का भ्रम पैदा हुआ है, तो अदालत इसे जल्द से जल्द समाप्त कर देगी।

ताकि फर्जी मुकदमेबाजी शुरुआती चरण में समाप्त हो जाए।

7.8 राम सिंह बनाम के मामले में। ग्राम पंचायत महल कलां (1986) 4 एस. सी. सी. 364, इस न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है और अभिनिर्धारित किया है कि जब मुकदमा किसी भी कानून द्वारा वर्जित है, तो वादी को चतुराई से मसौदा तैयार करके उस प्रावधान को दरकिनार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है ताकि उनका उल्लेख करने से बचा जा सके।

ऐसी परिस्थितियाँ, जिनके द्वारा मुकदमा सीमा कानून द्वारा वर्जित है।

8. उपरोक्त में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को लागू करना

सी. पी. सी. के आदेश 7 नियम 11 के तहत शक्तियों के प्रयोग पर निर्णय से लेकर मामले के तथ्यों और वादपत्रों में किए गए कथनों पर, हमारी राय है कि नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों ने सी. पी. सी. के आदेश 7 नियम 11 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए वादपत्रों को अस्वीकार नहीं करने में भौतिक रूप से गलती की है। जैसा कि ऊपर देखा गया है, मुकदमों में मुख्य प्रार्थना डी. आर. टी. द्वारा पारित डिक्री को चुनौती देना है। डी. आर. टी. द्वारा पारित डिक्री और यहां तक कि वसूली अधिकारी द्वारा पारित आदेश आर. डी. डी. बी. एफ. आई. अधिनियम की धारा 20 के तहत अपील योग्य हैं। ओ. सी. कृष्णन के मामले में और अन्य (ऊपर), इस न्यायालय ने अवलोकन किया है और अभिनिर्धारित किया है कि डी. आर. ए. टी. के समक्ष अपील को प्राथमिकता देने के वैकल्पिक उपाय को देखते हुए, डी. आर. टी. द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाली अनुच्छेद 227 के तहत याचिका ऐसे उपाय के समाप्त होने के बिना बनाए रखने योग्य नहीं होगी। ओ. सी. कृष्णन और अन्य (उपरोक्त) के मामले में, डी. आर. टी. द्वारा पारित डिक्री को भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत एक याचिका में चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय ने याचिका को स्वीकार कर लिया। बैंक-पंजाब नेशनल बैंक की अपील को स्वीकार करते हुए, इस न्यायालय ने कहा है कि आर. डी. डी. बी. एफ. आई. अधिनियम के तहत उपचारों को समाप्त किए बिना, उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 227 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। इस प्रकार धारण करते समय, पैराग्राफ में

6 , इस न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में अवलोकन और अभिनिर्धारित किया हैः

" 6. यह अधिनियम बैंकों और वित्तीय संस्थानों को देय ऋणों की वसूली के लिए एक विशेष प्रक्रिया प्रदान करने की दृष्टि से लागू किया गया है। अधिनियम, केनरा बैंक बनाम में अपील का एक पदानुक्रम प्रदान किया गया है।

पी. सेलथल और ओआरएस। ETC.ETC। [एम. आर. शाह, जे.]

अर्थात्, धारा 20 के तहत अपील दायर करने और इस त्वरित प्रक्रिया को रोकने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। के
अनुच्छेद 226 और 227 के तहत कार्यवाही का सहारा लेना

संविधान या दीवानी मुकदमा दायर करके, जो स्पष्ट रूप से वर्जित है। भले ही किसी अधिनियम के तहत एक प्रावधान स्पष्ट रूप से संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को समाप्त नहीं कर सकता है।

संविधान, फिर भी, जब कोई वैकल्पिक उपाय उपलब्ध होता है, तो न्यायिक विवेक की मांग होती है कि न्यायालय उक्त संवैधानिक प्रावधानों के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से बचें। यह एक ऐसा मामला था जिसमें उच्च न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत याचिका पर विचार नहीं करना चाहिए था और

प्रत्यर्थी को अपील तंत्र का सहारा लेने का निर्देश दिया

अधिनियम द्वारा प्रदत्त। "

9. इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करना और उसका पालन करना

ओ. सी. कृष्णन और अन्य (ऊपर) के मामले में, इसके बाद मैसर्स कैम्ब्रिज सॉल्यूशंस लिमिटेड (ऊपर) के मामले में मद्रास उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने उस वाद को खारिज कर दिया है जिसमें सी. पी. सी. के आदेश 7 नियम 11 (डी) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए डी. आर. टी. द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई थी। यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि उक्त मामले में भी शिकायत में धोखाधड़ी के आरोप थे और शिकायत में किए गए कथनों पर विचार करते हुए यह पाया गया कि धोखाधड़ी के आरोप भ्रामक हैं। डिवीजन बेंच द्वारा उक्त निर्णय में यह देखा गया है कि शिकायत में सबूत के साथ धोखाधड़ी के विशिष्ट उदाहरणों और कृत्यों का अनुरोध किया जाना चाहिए। यह है।

उन्होंने आगे कहा कि केवल बयान ही पर्याप्त नहीं हैं। यह आगे देखा गया है कि यह पर्याप्त नहीं है यदि केवल धोखाधड़ी का अनुरोध किया जाता है और यह दिखाने के लिए सामग्री होनी चाहिए कि धोखाधड़ी की गई है।

10. मुकदमों में दलीलों और कथनों पर विचार करने के बाद, विशेष रूप से धोखाधड़ी के आरोपों पर विचार करने के बाद, हम पाते हैं कि धोखाधड़ी के आरोप साझेदारी विलेख के संबंध में हैं और कोई नहीं हैं।

गारंटर-श्री कालीकुट्टी द्वारा बनाए गए बंधक के संबंध में और वह भी गारंटर द्वारा निष्पादित गारंटी विलेख के संबंध में आरोप। फर्म के भागीदारों को दोषी ठहराते हुए विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा पारित निर्णय और आदेश पर बहुत अधिक निर्भरता रखी जाती है। हालाँकि, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा पारित उक्त निर्णय में भी गारंटी विलेख और/या गारंटर द्वारा बनाए गए बंधक का कोई संदर्भ नहीं है। यहां तक कि बैंक भी उक्त कार्यवाही में पक्षकार नहीं है। यह बताया गया है कि विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा पारित निर्णय और आदेश के खिलाफ आगे की अपील लंबित है।

जो भी हो, मुकदमों में दलीलों/कथनों पर विचार करते हुए और

धोखाधड़ी के आरोपों में, हमारी राय है कि धोखाधड़ी के आरोप भ्रामक हैं और केवल डी. आर. टी. द्वारा पारित निर्णय और डिक्री से बाहर निकलने की दृष्टि से हैं। हमारी राय है कि इसलिए मुकदमे परेशान करने वाले हैं और डी. आर. टी. द्वारा पारित निर्णय और डिक्री से बाहर निकलने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से दायर किए गए हैं। जैसा कि ऊपर देखा गया है, वादी मूल मालिक के पावर ऑफ अटॉर्नी धारक के रूप में श्री कालीकुट्टी द्वारा निष्पादित क्रमशः 30.01.1996 और 10.03.1997 दिनांकित बिक्री विलेखों के आधार पर अधिकार का दावा कर रहे हैं। हालांकि, प्लेन्ट्स में किए गए दावे के अनुसार, उन्होंने अपने विक्रेता से सूट की संपत्ति खरीदी है जो तथ्यात्मक रूप से गलत है। बिक्री विलेखों को खाली पढ़ने पर, ऐसा प्रतीत होता है कि बिक्री विलेखों को श्री कालीकुट्टी द्वारा मूल विक्रेता के पावर ऑफ अटॉर्नी धारक के रूप में निष्पादित किया जाता है। जैसा कि यहाँ ऊपर देखा गया है, वर्ष 2008 में भी, जब उक्त कालीकुट्टी ने मध्यस्थता याचिका दायर की थी।

डी. आर. टी. द्वारा पारित एकतरफा निर्णय और डिक्री को रद्द करने और दरकिनार करने के लिए डी. आर. टी. के समक्ष आवेदन करते हुए, उन्होंने यह खुलासा नहीं किया कि उन्होंने पहले ही मूल वादी के पक्ष में संपत्ति बेच दी है। जैसा कि देखा गया है। इसके अलावा, कथित तौर पर बिक्री पर भी नकद भुगतान किया गया है। दिनांक 2 और 1 के बिक्री विलेखों के निष्पादन से पहले, श्री कालीकुट्टी द्वारा भूमि को पहले से ही अपीलार्थी-बैंक के साथ बंधक के रूप में प्रतिभूति के रूप में रखा गया था। इस प्रकार, मामले के समग्र तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, मूल वादी द्वारा दायर किए गए मुकदमे परेशान करने वाले, तुच्छ हैं और कानून और अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग के अलावा और कुछ नहीं हैं। इसलिए, उपरोक्त निर्णयों में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून पर विचार करते हुए, विशेष रूप से टी. अरिवंडम के मामले में।

(ऊपर), मुकदमे परेशान करने वाले और तुच्छ होने के कारण, सी. पी. सी. के आदेश 7 नियम 11 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए वाद खारिज किए जाने की आवश्यकता है। जैसा कि टी. अरिवंदम (ऊपर) में न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने बताया है, आदेश 7 नियम 11 (ए) के तहत एक आवेदन पर विचार करते समय अदालत द्वारा निश्चित रूप से एक शब्द को दोहराने या वाद में भ्रम पैदा करने की रस्म को उजागर किया जा सकता है। जैसा कि इस न्यायालय ने कहा है, ऐसी कार्यवाहियों को शुरुआत में ही समाप्त करने की आवश्यकता है। अन्यथा भी आर. डी. डी. बी. एफ. आई. अधिनियम के तहत प्रदान की गई अपील के उपाय को समाप्त किए बिना, डी. आर. टी. द्वारा पारित डिक्री को चुनौती देने के बुनियादी राहत वाले मुकदमे खारिज किए जाने के लिए उत्तरदायी थे, जैसा कि इस न्यायालय ने ओ. सी. कृष्णन और अन्य (ऊपर) के मामले में देखा और अभिनिर्धारित किया था।

11. इस स्तर पर, यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि मुकदमे बंधक की तारीख से 15 साल की अवधि के बाद और उसके बाद दायर किए गए हैं। डी. आर. टी. द्वारा डिक्री पारित होने की तारीख से 7 साल की अवधि।

दलीलों में, यह कहा गया है कि वादी को बंधक और डी. आर. टी. द्वारा पारित निर्णय और डिक्री के बारे में केवल छह महीने पहले ही पता चला था। हालाँकि, उक्त कथनों को बहुत अस्पष्ट कहा जा सकता है। वादी को कब और कैसे पता चला, इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है।

डी. आर. टी. द्वारा पारित निर्णय और डिक्री और संपत्ति के बंधक के बारे में। केवल सीमा के कानून से बाहर निकलने की दृष्टि से और केवल सीमा की अवधि के भीतर मुकदमों को लाने की दृष्टि से, ऐसी अस्पष्टता

अनुमान लगाए जाते हैं। इस तरह के अस्पष्ट कथनों पर, वादी सीमा के कानून से बाहर नहीं निकल सकते हैं। विशिष्ट अभिवचन होने चाहिए और

सीमा पर मैदानों में अभिकथन। इस प्रकार, इस आधार पर भी, मैदान अस्वीकार किए जाने योग्य थे। जैसा कि यहाँ ऊपर देखा गया है, मैदान हैं

12. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को देखते हुए, ये दोनों अपीलें सफल होती हैं। विवादित सामान्य निर्णय और आदेश पुनरीक्षण आवेदनों को खारिज करने में उच्च न्यायालय द्वारा पारित और विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपीलार्थी द्वारा पसंद किए गए आवेदनों को खारिज करते हुए- सी. पी. सी. के आदेश 7 नियम 11 (डी) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए संबंधित दलीलों को अस्वीकार करने के लिए बैंक को इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है और अलग कर दिया जाता है। नतीजतन, मूल वादी द्वारा दायर दलीलें ओ. एस. नंबर 1269/2010 और ओ. एस. नंबर 233/2011 हैं जो अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय, कोयंबटूर के न्यायालय में लंबित हैं, उन्हें खारिज कर दिया जाता है। तत्काल अपीलों को तदनुसार अनुमति दी जाती है। कोई लागत नहीं।

अ

पीलों की अनुमति दी गई।

अंकित ज्ञान